# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

**अपील संख्या :– 960/2024**

आशुतोष श्रीवास्तव **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख सचिव, भू–जल विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, भू–जल विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर, वर्तमान में 72–बी झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 27.02.2024
**आदेश की दिनांक** : 20.02.2024
**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री प्रदीप कुमार अस्थाना, अधिवक्ता

**समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ भू–जल वैज्ञानिक के पद पर भू–जल विभाग, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के भू–जल विभाग, उदयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 30.04.2025 है तथा अपीलार्थी की राजकीय सेवा पूर्ण होने में 14 माह शेष है। अपीलार्थी की पत्नी तीव्र अवसाद की बीमारी से पीड़ित है और गठिया एवं ऑस्टेपोरोसिस के बढ़ते लक्षणो के कारण उसका निरंतर उपचार चल रहा है। अपीलार्थी के परिवार में दो बेटे एवं बीमार माता–पिता है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 450 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी ने अपने परिवार की परेशानियों के दर्शाते हुए एवं वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही पदस्थापित रहने के लिए विभाग को एक अभ्यावेदन दिनांक

23.02.2024 (अनुलग्नक–2) प्रस्तुत किया जिसका आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया है जो कि अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

3 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान में वरिष्ठ भू–जल वैज्ञानिक के पद पर भू–जल विभाग, जयपुर में ही कार्य करने दिया जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

4 हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ भू–जल वैज्ञानिक के पद पर भू–जल विभाग, जयपुर में सितम्बर 2019 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के बाद आलौच्य आदेश द्वारा स्थानान्तरण किया गया है। पदस्थापन अपीलार्थी के पद के अनुसार किया गया है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

7 अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

8 अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 450 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, अपीलार्थी राज सेवा का लोकसेवक है। अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

9. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**